

## शहर के छह लाख हाथ बनाएंगे, रतलाम को स्वच्छ और सुंदर स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत अलकापुरी में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नगर निगम आयुक्त ने दिलाया शहर के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों को स्वच्छ और सुंदर रतलाम का संकल्प

रतलाम 01 फरवरी | शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने और स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम को स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने के तमाम प्रयास नगर निगम प्रशासन निरन्तर करता आ रहा है। अब इसमें नागरिकों की भी भागीदारी बढ़ी है, मगर इस भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने की जरूरत है। रतलाम में बसने वाले करीब तीन लाख लोगों के छह लाख हाथ जब स्वच्छता के लिए उठेंगे तो शहर देश में एक अलग मुकाम हासिल कर लेगा।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने अलकापुरी बगीचे में आयोजित रतलाम स्वच्छता अभियान समिति द्वारा स्वच्छ एवं निरोग अभियान' को मिशन के रूप में चलाए गए शिविर के समापन अवसर पर व्यक्त किए।

आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि शहरवासियों को संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर और दुकानों के कचरे को सड़क, नाले व नालियों में नहीं फेंकेगे। अपने कचरे का निपटान कचरा गाड़ियों में ही करेंगे। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें रहती हैं कि वार्डों में कचरा गाड़ियां देरी से आती हैं या एक दिन छोड़कर आती हैं, ऐसी शिकायतों के दर्ज करने के लिए एक कंट्रोल रूम तैनात किया जाकर दूरभाष रखा जाएगा जिस पर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी समस्या का हल करवा सकते हैं।

श्री झारिया ने कहा कि शहर की स्वच्छता और सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए अब नागरिकों को पूरजोर तरीके से सहयोग करना होगा ताकि हमारे रतलाम शहर का नाम देश में नम्बर-1 के मुकाम पर पहुंच सके। इस मौके पर श्री झारिया ने कहा कि अनोखीलाल कटारियाजी ने कोरोना जैसी महामारी में निःशुल्क दवा देने के लिए शिविर लगाकर लोगों को सेहत के साथ ही स्वच्छता के लिए जागरूक करने के बेहतर काम किया है। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं।

इस मौके पर स्वच्छता अभियान समिति के अध्यक्ष अनोखीलालजी कटारिया ने कहा कि वे शहर की स्वच्छता और सुंदरता को लेकर विगत वर्षों से सक्रिय हैं और आगे भी नगर निगम के प्रयासों में हम सहभागिता निभाने के लिए तत्पर हैं। हमारा शहर स्वच्छ रहे और यहां के नागरिक स्वस्थ रहे ऐसे प्रयास समिति हमेशा तत्पर और तैयार है। यहां सफाई मित्र समूह के सदस्यों द्वारा तैयार की गई रांगोली के निकट सभी ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की भी शपथ ली।

प्रारंभ में स्वागत भाषण एवं संस्था का परिचय समिति के राधावल्लभ खंडेलवाल ने दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेन्द्र लुनेरा, भाजपा के पूर्व पार्षद प्रहलाद पटेल डॉ. रमेश मित्तल, डॉ. निर्मला डांगी, भाजपा मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, पूर्व पार्षद भगतसिंह भदौरिया, अरुण राव, डॉ.नरेन्द्र मेहता, गोपालसिंह तोमर, अमर वाधवानी, शरद चतुर्वेदी, राधावल्लभ खंडेलवाल, मदन शर्मा, संजय चपलोद, विशाल वर्मा, अनिल कटारिया, सूरजमल टांक, गोपालजी टंच सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन दिलीप मूणत ने किया। आभार समिति के संजय चपलोद ने माना।

## गंदगी करने पर 26 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 01 फरवरी | नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कंट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर केजरीवाल, मनीष पर 250-250, हेमन्त 200, शाहरूख, विक्रम, दशरथ, देवनारायण, पूरन अरोरा, जितेन्द्र पर 100-100, मोहन, जितेन्द्र, जफर, अरविन्द, रघुनाथ सिंह, रवि पानी पतासा वाला, जितेन्द्र, गुड्डा सिंह, अंकित परमार, मुकेश, कुमार, कुमार सेन, जीतू, गोलू, देवचन्द व प्रदीप पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

**“वेटलैंड एण्ड वाटर” पर आज अमृत सागर उद्यान में जन-जागरूकता का कार्यक्रम**

रतलाम 01 फरवरी | विश्व वेटलैंड दिवस 02 फरवरी को अमृत सागर उद्यान में दोपहर 3 बजे से “वेटलैंड एण्ड वाटर” पर जन-जागरूकता का कार्यक्रम अध्यक्ष, रतलाम स्वच्छता अभियान समिति श्री अनोखीलाल कटारिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा।

नगर निगम द्वारा पर्यावरण प्रेमी जनता से अपील की जाती है कि आज विश्व वेटलैंड दिवस पर आयोजित वेटलैंड एण्ड वाटर पर आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम में कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते हुए सम्मिलित हों।

**निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त  
102 दिनों में 136 वॉल्व व 687 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण**

रतलाम 01 फरवरी | शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 01 फरवरी तक 136 वॉल्व व 687 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 01 फरवरी सोमवार को अलकापुरी गोकुल डेरी के पास, कस्तुरबा नगर गली नम्बर 4, श्रृंगी नगर मुख्य मार्ग, भगतपुरी जगदीश साउण्ड के पास, करमदी रोड मिर्ची वाले की दुकान के बाहर व त्रिवेणी मुक्तिधाम रोड पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

## स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

### 618 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 01 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 01 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 618 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 01 फरवरी को अलकापुरी, जवाहर नगर, विनोबा नगर पानी की टंकी, ग्लोबस कालोनी, रेल नगर व मार्निंग स्टार स्कूल के पास से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहों को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

## आज से कस्तुरबा नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

नागरिकों ने 11,55,000/- संपत्तिकर व 2,65,805/- जलकर जमा कराया

रतलाम 01 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर

1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 11,55,000/- संपत्तिकर व 2,65,805/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

## **दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें**

रतलाम 01 फरवरी | समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण-पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

## **गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक**

रतलाम 01 फरवरी | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

## **सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें**

रतलाम 01 फरवरी | रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

## कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी  
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 01 फरवरी | नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्ता, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/01.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.